कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर संभाग क्रमॉक–एक, भोपाल

वाणिज्यिक कर भवन प्लाट नं 19 अरेरा हिल्स भोपाल
दूरभाषः– 0755 2421901 ई–मेलः– dc.bpl1@mptax.mp.gov.in

क्रमॉक : वाक/उपा–1/स्थापना/2024/1085 भोपाल, दिनॉक–10.06.2024

//विज्ञप्ति//

दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित पदों में चतुर्थ श्रेणी (भृत्य/आदेशिका वाहक/फर्राश)के रिक्त पदों की पूर्ति वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है।

दिव्यांगजन के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विज्ञापित पद का नाम एवं श्रेणी	पदों की संख्या				आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक	कार्यालय का नाम जहाँ आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाना है
		दृष्टिबाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोको मोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बोना पन एसिड अटैक पीडित मस्कुलर डिस्ट्रॉफी	ऑटिज्म बौद्विक दिव्यांगता स्फेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
1	भृत्य (चतुर्थ श्रेणी) कुल पद–07	02	02	01	02	दिनांक 25.06.2024	कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर संभाग क्रमॉक–एक, भोपाल जी एस टी भवन प्लाट नं 19 अरेरा हिल्स भोपाल

1. <u>वेतनमानः–</u>

   चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु वेतनमान लेवल–1 (अनुक्रमांक 1–40) 15500–49000/–(सातवां वेतनमान) (उपरोक्त पद के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3–13/2019/3/एक/दिनांक 12.12.2019 अनुसार नियुक्ति 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर की जाकर परिपत्र अनुसार स्टॉयपेंड के रुप मे वेतन देय होगा)

2. <u>चतुर्थ श्रेणी हेतु शैक्षणिक योग्यता :–</u>

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी–3–06/2011/3/एक दिनांक 18.05.2011 अनुसार भृत्य के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

<u>उपर्युक्त अर्हता आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है</u>।

3. **आवेदन पत्र के साथ अधोलिखित दस्तावेज एवं जानकारी संलग्न करना अनिवार्य है :–**

(1) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजों के स्व–प्रमाणित छायाप्रतियॉ तथा पासपोर्ट साईज के स्व–प्रमाणित दो फोटोग्राफ्स।

(2) मध्यप्रदेश का मूल/स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र।

(3) आयु सीमा– 18 से 45 वर्ष (सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट समाहित है) आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.2024 के आधार पर की जायेगी।

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

(5) शासन द्वारा जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त विकलांग होने का प्रमाण पत्र।

(6) रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।

(7) विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह करने वाले आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। जिस आवेदक की दिनांक 26.01.2001 या इसके बाद शासन निर्देश से अधिक संतान वाले आवेदन के लिये पात्र नहीं होंगे।

(8) आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक एवं ऊपर दिये गये कार्यालय के पते पर स्वयं प्रस्तुत करें अथवा पंजीकृत डाक से लिफाफे के ऊपर **"दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित चतुर्थ श्रेणी (भृत्य/आदेशिका वाहक/फर्राश) के पद हेतु आवेदन पत्र"** अंकित करते हुए भेजें। किसी भी स्थिति में निर्धारित अंतिम दिनांक को कार्यालयीन समय पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को मान्य नहीं किया जायेगा तथा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण भरे हुये आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

<u>नोट :</u> भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 05.05.2021 द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार दिनांक 01.06.2021 से समस्त दिव्यांगता प्रमाण–पत्र केवल यू.डी.आई.डी. पोर्टल नामतः http://www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से नियमानुसार जारी किये गये डिजिटल प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 20 मई 2016 चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति में जिन पदों पर साईकिल चालन अनिवार्य है, वहाँ दिव्यांगजनों को छूट प्रदान की गई है।

4. आवेदक द्वारा असत्य/भ्रामक/मिथ्या जानकारी अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने अथवा किसी भी कारण से नियम विरूद्ध नियुक्ति हो जाने पर, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

5. नियुक्ति सम्बन्धी समस्त अधिकार संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल संभाग एक के पास सुरक्षित रहेंगे।

नोट :– आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईट www.mptax.mp.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन स्वीकार्य होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल संभाग–1 के स्थापना कक्ष जी–8 भूतल से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक का चयन वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी सूचना पात्र आवेदकों को उनके आवेदन पत्र में दर्शाये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक, ई–मेल अथवा व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से दी जायेगी। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शर्तें/नियमों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित न की जाकर विभाग के उक्त वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्राधिकार जिला भोपाल रहेगा।

संभागीय उपायुक्त
वाणिज्यिक कर, भोपाल संभाग–1